



राजस्थान सरकार

प्रारूप 'ख'

(देखिये नियम 9(3),(4) और (6))

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर दौसा- 303303

क्रमांक आर18बी(गुणरू0)(23)2011/ 68

दिनांक: 3-1.2012

—: संपरिवर्तन आदेश :-

आवेदक सौरभ एजुकेशन एण्ड डवलपमेन्ट सोसायटी खेड़ा डिण्डौन सिटी जरिये सचिव रणधीर सिंह बेनीवाल पुत्र विजयसिंह बेनीवाल जाति जाट निवासी डिण्डौन सिटी तहसील डिण्डौन सिटी जिला करौली के आवेदन अनुसार ग्राम खेड़ली तहसील दौसा में स्थित उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9(जी) के अधीन संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजन के लिए इनके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं।

(1) आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पत्नि के नाम सहित पूरा पता	सौरभ एजुकेशन एण्ड डवलपमेन्ट सोसायटी खेड़ा डिण्डौन सिटी जरिये सचिव रणधीर सिंह बेनीवाल पुत्र विजयसिंह बेनीवाल जाति जाट निवासी डिण्डौन सिटी तहसील डिण्डौन सिटी जिला करौली
(2) क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है।	नहीं
(3) संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या की क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	ग्राम खेड़ली, ग्राम पंचायत सूरजपुरा, तहसील दौसा ख0नं0 286 रकबा 0.75 है0, ख0नं0 287/868 रकबा 0.28 है0 कुल किता 2 रकबा 1.03 है0 = 10300 वर्गमीटर ख0नं0 286 रकबा 0.75 है0, में से 0.36 है0, ख0नं0 287/868 रकबा 0.28 है0 में से 0.14 है0 कुल किता 2 रकबा 0.50 है0 = 5000 वर्गमीटर
टिप्पणी:- कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि को लाल रंग से दर्शाते हुए राजस्व नक्शों में सुसंगत सम्यक रूप से सत्यापित - प्रति संलग्न है।	
(4) संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजनार्थ
(5) संदेय प्रीमियम की दर	डीएलसी दर का 10 प्रतिशत यानि 73.60 रुपये प्रति वर्गमीटर से 368000/- (तीन लाख अड़सठ हजार रुपये)
(6) चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम (बैंक में जमा राशि की दिनांक)	(1) मद 0029 भू-राजस्व चालान सं0 दिनांक राशि रुपये 312 30.12.2011 368000-00 (2) मद पी0डी0ए0 में : चालान सं0 दिनांक राशि रुपये - - -
(7) चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा राशि की दिनांक)	(1) मद 0029 भू-राजस्व चालान सं0 दिनांक राशि रुपये - - -
(8) चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज (यदि कोई हो) की जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा कराई गई रकम(बैंक में जमा राशि दिनांक)	(1) मद 0029 भू-राजस्व चालान सं0 दिनांक राशि रुपये - - -
(9) क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम-13 के अधीन जारी किया गया :-	नहीं

जारी

10 अन्य प्रविष्टियाँ यदि कोई हो :-

1. रूपांतरित की गई भूमि एन.एच. 11 के मध्य से 300 मीटर दूर स्थित है। आवेदक को संपरिवर्तित भूमि तक नियमानुसार पहुंच मार्ग सुनिश्चित करना होगा तथा इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार आवेदक द्वारा संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजन का नियमानुसार लेआउट प्लान के अनुसार ही निर्माण कार्य किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस रूपांतरित की गई भूमि को संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जावेगा।
2. आवेदक द्वारा रूपांतरित की गई भूमि में से 40 प्रतिशत क्षेत्र बच्चों की खेल कूद की व्यवस्था एवं पार्क, वाहन पार्किंग आदि के लिये खुला छोड़ना होगा।
3. आवेदक को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचारित सड़क से रास्ता हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
4. राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जावेगा अथवा संपरिवर्तन की जाने वाली भूमि के रूपांतरण शुल्क की राशि के निर्धारण एवं गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिए सदैव बाध्य रहेगा।
5. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6)राज-6/92पार्ट/23 दिनांक 17.7.2007 की पालना करनी होगी।
6. राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, उनकी पालना की जावेगी।
11. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
 1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
 2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपूत हो जायेगा।
 3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
 4. संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।
 5. उपरोक्त शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन करने पर संपरिवर्तन आदेश स्वतः निरस्त सिद्धा जावेगा।



क्रमांक आर18बी(भू0रू0)(23)2011/69-77

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी दौसा।
3. प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट दौसा।
4. तहसीलदार दौसा को उनके पत्र क्रमांक: टीआरए/1125 दिनांक 30.12.2011 के सदर में मय नक्शा ट्रेस के रिकार्ड में अमलदरामद हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड दौसा जिला दौसा।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत सूरजपुरा, पंचायत समिति दौसा।
7. पटवारी हल्का सूरजपुरा तहसील दौसा।
8. आवेदक सौरभ एजूकेशन एण्ड डवलपमेन्ट सोसायटी खेड़ा हिण्डौन सिटी जरिये सचिव रणधीर सिंह बेनीवाल पुत्र विजयसिंह बेनीवाल जाति जाट निवासी हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।
9. गार्ड फाईल।

जिला कलेक्टर, दौसा
(विहित प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांक: 3-12-2012

जिला कलेक्टर
दौसा